

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 25 / 2020 (Bank Case)

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा- 04 व 05, प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज०)-305001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी
- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री जोगेन्द्र पुत्र श्री नत्थूलाल
पता-(1) मधुस्मृति के पीछे, रंगबाडी, आनन्दपुरा, फूटा तालाब, पीप, कोटा (राज०), 324005
(2) सर्वे नं० 69, रंगबाडी, कच्ची बस्ती, तहसील-लाडपुरा, जिला-कोटा (राज०), 324007
2. श्रीमती मंजू पत्नी श्री जोगेन्द्र
पता- मधुस्मृति के पीछे, रंगबाडी, आनन्दपुरा, फूटा तालाब, पीप, कोटा (राज०), 324005

- अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002


उपस्थित

श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 19.02.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा- 04 व 05, प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज०)-305001 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.05.2014 को रुपये 2,00,000/- (अक्षरों: रुपये दो लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्री जोगेन्द्र पुत्र श्री नत्थूलाल एवं श्रीमती मंजू पत्नी श्री जोगेन्द्र की सर्वे नं० 69, रंगबाडी, कच्ची बस्ती, तहसील- लाडपुरा, जिला-कोटा (राज०) स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 79.33 वर्ग गज) को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में दिनांक 26.03.2017 को एन.पी.ए. कर छः सौ चौतीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 29.03.2017 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 29.03.2017




को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 29.03.2017 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2017 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री जोगेन्द्र पुत्र श्री नत्थूलाल एवं श्रीमती मंजू पत्नी श्री जोगेन्द्र की सर्वे नं0 69, रंगबाडी, कच्ची बस्ती, तहसील- लाडपुरा, जिला- कोटा (राज0) स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 79.33 वर्ग गज), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्व कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को सुनाया गया।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा